

393

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र06-विविध-49/13- 03 खाद्य, पटना/ दिनांक 01/07/14

प्रेषक

शिशिर सिन्हा,  
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार राज्य अन्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त का निर्धारण

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 8136 दिनांक 27.12.2013 के प्रसंग में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार राज्य के पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना है । अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के परिवारों में पात्र परिवारों के चयन करने हेतु राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान की गई है जिसके आलोक में विभाग द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान हेतु निर्धारित मानक पर दिनांक 26.12.2013 तक आपति एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं रखने का निर्णय लिया गया है :-

(क) ग्रामीण क्षेत्र

- I. मोटर चालित तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/  
Households owning motorized three/four wheelers  
अथवा/OR
- II. मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण/  
Households owning mechanized three/four wheeler agricultural equipments .  
अथवा/OR
- III. सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार\* /  
Households with any member as Government Employee\*  
अथवा/OR
- IV. सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार/  
Households with non-agricultural enterprises registered with Government  
अथवा/OR
- V. परिवार का कोई सदस्य 10,000/- रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है/  
Households with any member earning more than Rs. 10,000 P.M .  
अथवा/OR

- VI. आयकर अदा करते हैं/  
Households paying income tax  
अथवा/OR
- VII. व्यवसायिक कर अदा करते हैं/  
Households paying professional tax  
अथवा/OR
- VIII. सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे/  
Households with three or more rooms with pucca walls and pucca roof.  
अथवा/OR
- IX. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है /  
Households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment  
अथवा/OR
- X. दो अथवा उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है/  
Households owning 5 acres or more land irrigated for two or more crop seasons  
अथवा/OR
- XI. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि है/  
Households owning 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment.

(ख) शहरी क्षेत्र

- I. तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान जो धारक के स्वामित्व में हो/  
Households owning concrete roof three rooms (Self owned) and more  
अथवा OR
- II. निम्नांकित सभी सामग्री/सम्पति/  
Households owning following assets :
- दो पहिया वाहन/ Two wheeler
  - रेफ्रिजरेटर/ Refrigerator
  - वाशिंग मशीन/ Washing Machine
- अथवा OR
- VI. चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर/  
Households owning four wheeler or AC
2. शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों की श्रेणी में शामिल किये जाने पर निर्णय लिया गया है :-
- भिखारी/कूड़ा चुननेवाला/ Beggar/Rag Picker
  - घरेलू श्रमिक Domestic Workers
  - फूटपाथी दुकानदार/मोची/फेरीवाला/गली-मुहल्ले में अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला /  
Street vendor/cobbler/hawker/other service provider working on street

- d. निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक/नलसाज/राजमिस्त्री/श्रमिक/पेंटर/वेल्डर/ सुरक्षा प्रहरी/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक/  
Construction worker / plumber / mason /labour/ painter/welder /security guard/coolie and other head load worker
- e. झाड़ूकश/सफाईकर्मी/माली/ Sweeper/sanitation worker/mali
- f. घरेलू कार्य में संलग्न श्रमिक/शिल्पकार/हस्तशिल्प कर्मी/दर्जी/  
Home based worker/artisan/handicraft workers/tailor
- g. परिवहन कर्मी/चालक/परिचालक/खलासी/रिक्शाचालक/  
Transport worker/driver/conductor/helper to drivers and counductors/ rickshaw puller
- h. दुकान कर्मी/सहायक/अनुसेवक (छोटे स्थापन के लिए)/खलासी/डाक वितरण सहायक/परिचर/बैरा/  
Shop worker/assistant/peon in small establishment/helper/delivery assistant / attendant/waiter
- i. बिजली मिस्त्री/मैकेनिक/एसेम्बलर/मरम्मतकर्ता /  
Electrician/mechanic/assembler/repair worker
- j. धोबी/चौकीदार/ Washer man/ chowkidar

3. शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु योग्य परिवारों को निम्नलिखित स्व-घोषणाएँ करनी होंगी :-

- i. परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो \* /  
No household member is in a Government job\*
- ii. परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई गैर कृषि उद्यम सरकार के अधीन निबंधित न हो /  
No household member has a Non-Agriculture enterprise registered with the Government
- iii. परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो /  
No household member is paying income tax
- iv. परिवार का कोई सदस्य पेशाकरदाता न हो /  
No household is paying professional tax
- v. परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह रू0 20,000/- से अधिक आय अर्जित नहीं करता- हो /  
No household member is earning an income more than Rs 20,000 per month

\*सरकारी सेवा से तात्पर्य है - "केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी"

अतः अनुरोध है कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कराये जा रहे सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर प्राप्त परिवारों की अंतिम सूची में से उक्त निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में परिवारों की उक्त श्रेणी को शामिल/हटाकर (Inclusion/Exclusion) पात्र परिवारों की सूची विभागीय पत्रांक 8136 दिनांक 27.12.2013 में विहित प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित करने की कृपा की जाए एवं आच्छादित जनसंख्या/परिवार की संख्या विभाग को उपलब्ध कराया जाए ।

(शिशिर सिन्हा)  
प्रधान सचिव 11.1.14